झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)न०वि० एवं आवास–08–12 / 2016............ / राँची, दिनांक ....

आदेश

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 4721 दिनांक– 23.08.2016 के द्वारा श्री छटठु तिग्गा (ID- 4622), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद् गढ़वा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित निम्नलिखित आरोप, अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया :–

1. नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यपालक अभियंता, गढ़वा नगर परिषद के पद पर वर्ष 2014–15 के पदस्थापन अवधि में निम्नांकित अनियमितताएं बरती गई है :–

   (i) नगर परिषद क्षेत्र में LED Light के अधिष्ठापन में अनियमितता,

   (ii) नगर परिषद क्षेत्र में डस्टबीन की आपूर्त्ति में अनियमितता

   (iii) टाउन हॉल के निविदा का निष्पादन में अनियमितता

   (iv) सोनपुरवा बस स्टैण्ड, गढ़वा के जिर्णोद्धार कार्य में अनियमितता

2. श्री तिग्गा के उक्त कार्य से विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं हुई तथा राजकोष को वित्तीय क्षति पहुँची है।

3. श्री तिग्गा द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमवाली के नियम–3(1) (i) (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

(II) उक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 5483 दिनांक– 05.12.2016 द्वारा श्री छटठु तिग्गा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम– 16 एवं 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(III) उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 288 दिनांक– 06.11.2018 द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन में श्री तिग्गा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के साथ विभागीय पत्रांक– 2149 दिनांक– 24.04.2019 द्वारा श्री तिग्गा से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया तथा इस पत्र का तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन मेदिनीनगर से अनुरोध किया गया :–

(i) निन्दन

(ii) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

P.T.O

(IV) वांछित द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक– 2467 दिनांक– 13.05.2019 द्वारा श्री छटठु तिग्गा को स्मारित किया गया तथा जवाब दिनांक– 20.05.2019 तक समर्पित करने हेतु अनुरोध किया गया।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के पत्रांक– 769 दिनांक– 14.05.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त पत्र (पत्रांक– 2149 दिनांक– 24.04.2019) का तामिला श्री छटठु तिग्गा को दिनांक– 14.05.2019 को करा दिया गया। द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु श्री तिग्गा द्वारा न ही समय की माँग की गई और न ही द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

(V) उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मामले की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक् समीक्षोपरान्त यह माना गया कि आरोप के संबंध में श्री छटठु तिग्गा को कुछ नहीं कहना है।

अतएव प्रमाणित आरोप के लिए श्री छटठु तिग्गा के विरूद्ध निम्नलिखित दण्ड एतद द्वारा संसूचित किया जाता है –

(i) निन्दन

(ii) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(VI) उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ....राँची/दिनांक ....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 3446 राँची/दिनांक 01/7/19

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, गढ़वा/मुख्य अभियंता, जल संसाधन मेदिनीनगर/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/संयुक्त सचिव(प्र०) जल संसाधन विभाग/अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/छटठु तिग्गा, कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्रमण्डल, गढ़वा/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव